सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–रा

प्रकरण : संख्या – 198/13 शीर्षक [illegible] बनाम [illegible]

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
17/1/18	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि अपने वादी गवाह अनुपस्थित। वादी मे साक्ष्य पेश करने हेतु पूर्व मे पर्याप्त अवसर प्रदान किये पूर्व पेशी पर भी कोर्ट के समक्ष अंतिम अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति मे यह प्रतीत होता कि वादी अपने वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहता है। ऐसी स्थिति मे वादी का वाद साक्ष्य से अपने वाद को सिद्ध करने मे असफल रहा है। अतः वादी की वाद साक्ष्य के अभाव मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ख से बाम किये जावे। शुभ सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा